

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडु) : (क) मुजफ्फरपुर (बिहार) स्थित मौजूदा एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने की कोई योजना नहीं है।

(ख) मौजूदा एक्सचेंज आठवीं योजना अवधि के दौरान एक्सचेंज बदलने की दृष्टि से निर्धारित मानदंड पूरा नहीं करता। तथापि, आठवीं योजना अवधि के दौरान एक एलेक्ट्रानिक एक्सचेंज को दूसरे एक्सचेंज के रूप में संस्थापित करने की योजना है।

बिहार में हाजीपुर-मुजफ्फरपुर रोड़ को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाना

273. श्री रजनी रंजन साहू : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में हाजीपुर-मुजफ्फरपुर रोड़ को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) इस सड़क को कब तक राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिया जायेगा और इसकी सम्मत कब तक कर दी जायेगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए प्रस्तावों में जिसमें बिहार राज्य की प्रशस्त सड़क भी शामिल है, राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के बारे में कोई निर्णय 8वीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद तथा विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही किया जा सकता है जैसे एन०टी०पी०सी० (राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति) द्वारा की गई सिफारिशें अलग-अलग सड़कों की अखिल

भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्धारित मानदंड, निधियों की उपलब्धता, आदि।

Development of Major and Medium Ports in the Country

274. SHRI M. A. BABY: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state the projects and programmes being considered for the development of major and medium ports in India during the current and ensuing financial year with details thereof?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): Broad details of such projects and programmes pertaining to development of Major Ports in India and for Andaman & Lakshadweep Islands for the current financial year are enclosed. (See Appendix CLIX, Annexure No. 10).

The formulation of Annual Plan 1992-93 for finalising the projects and programmes for the ensuing financial year is yet to be taken up.

Development of the Minor Intermediate, Ports in India is the responsibility of the respective State Governments.

Introduction of Cellular Phones

275. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to introduce cellular phones in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to introduce car phones more liberally all over the country; and

(d) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU):

(a) Yes, Sir. Initially four metropolitan cities are proposed to be covered

for the introduction of cellular phones.

(b) There has been an increasing demand for cellular phones in metropolitan cities, especially from the business community. The Department proposes to provide, in consultation with Ministry of Finance, this facility on first-come first-served basis to the registrants at a high premium in Foreign Exchange in such a manner that the premium not only finances the cost of the equipments but also generates surplus revenue which could be utilised for provision of public telephones in resettlement colonies, Jhuggi-Jhopri clusters, low income group housing societies, etc.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Communal Riots

276. SHRI N. E. BALARAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the number of Communal riots that took place in the country in the years 1989-90 and 1990-91 alongwith the names of the places of riots; the main reasons for the riots and the number of people killed/injured in each case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): On the basis of available information, a statement is annexed. (See Appendix CLIX, Annexure No. 11).

भारतीय जलपोतों की विदेशों में मरम्मत

277. श्री रणजीत सिंह :

डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में जलपोतों की मरम्मत करने की पर्याप्त व्यवस्था होने के बावजूद ये जलपोत

मरम्मत आदि के लिए विदेशों में ले जाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन जलपोतों की मरम्मत पर प्रति वर्ष किये जा रहे खर्च की राशि का अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो इस में कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है और क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए विद्यमान स्थानों पर जहाँ इन जलपोतों की मरम्मत की जा सकती है, पर्याप्त सुविधाएं व आवश्यक मशीनरी उपलब्ध कराने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जहाजों की मरम्मत के लिए विदेश जाने की अनुमति निम्नलिखित कारणों से दी जाती है :-

(i) भारतीय बड़े की जहाज-मरम्मत संबंधी संपूर्ण जरूरतें पूरा करने के लिए देश में मौजूदा जहाज मरम्मत सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं;

(ii) जो जहाज विदेश व्यापार में लगे हैं और भारतीय तट का स्पर्श नहीं करते उन जहाजों को विदेशी शिपयार्डों में मरम्मत कराने की अनुमति दी जाती है;

(iii) भारतीय मरम्मत यार्डों में जिन जहाजों की मरम्मत की जा सकती है, उनके आकार की अधिकतम सीमा 250 मी० लंबाई में और 40 मी० चौड़ाई में है और इस आकार से अधिक के किसी भी जहाज की मरम्मत के लिए विदेश भेजना पड़ता है; और

(iv) जो जहाज विदेशी टिप्पों पर होते हैं और जिनकी तत्काल मरम्मत की जरूरत होती है, उन्हें विदेशी